<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
शम्भू बनाम भैरू[illegible] सहाय
51 / 18 (आरसीएमएस नं. 2018 / 00035)</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>26.08.19</td><td>पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रकरण को "नो इन्ट्रेक्शन प्लीड" करते हुए कथन किया है कि वर्तमान में हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से प्रकरण में पैरवी करने हेतु किसी प्रकार के निर्देश नही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उनके द्वारा किसी प्रकार की पैरवी नही की जा सकती है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण वर्ष 2018 से विचाराधीन है तथा अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता को किसी प्रकार के निर्देश नही होने के कारण उनके अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को "नो इन्ट्रेक्शन प्लीड" किया गया है तथा अपीलान्ट की ओर से अन्य कोई उपस्थित भी नही है। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।</td><td></td></tr>
</table>